नवीनीकरण प्रति

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय
सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/ BSP00007112-A-A-A /फायर सर्विस / एन°ओ°सी° /2026/ बिलासपुर दिनांक : 03/07/2026

प्रमाणित किया जाता है कि श्री Omkar Prasad Dewangan, Manager, Tagore International School,Sakri,Bilaspuri के परिसर Tagore International School, Near Sakri Over Bridge ,Sakri, Bilaspur(C.G.) में स्थित TAGORE INTERNATIONAL SCHOOL का इस विभाग द्वारा ""अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र"", पत्र क्रमांक- BSP00007112-A-A दिनांक 04/06/2025 को जारी किया गया था। इस परिसर का पुनः निरीक्षण इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री M/s CHHATTISGARH FIRE SAFETY AND DISASTER MANAGEMENT COMMITTEE द्वारा Mr. Omkar Prasad Dewangan की उपस्थिति में दिनांक 24/06/2026 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबन्धित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

1 सभी अग्नि सुरक्षा से संबन्धित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।

2 अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।

3 अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का माक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।

4 बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।

5 मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।

6 अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से TAGORE INTERNATIONAL SCHOOL में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की ज़िम्मेदारी पूर्णतः Omkar Prasad Dewangan, Manager, Tagore International School,Sakri,Bilaspuri की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी।

7 It shall be noted that the owner/occupier shall take 6 monthly self-declared certificate (As per Form-R of Latest Gazette Notification 2025) by the empaneled TPA. The NOC is been issued on the basis of the conditions mentioned in the Inspection Report of your premise.

DIRECTOR
Training Operation
Fire & Emergency Service
ome Guard And Civ" Defence C.

जारी दिनांक : 03/07/2026

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

This is system generated NOC. No signature is required.